शासन द्वारा मान्यता प्राप्त

छत्तीसगढ़ प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संघ

पं. क्रं. 58

आलोक मिश्रा	प्रदीप बोगी	अश्वनी गुर्देकर	ओ. पी. शर्मा
प्रांताध्यक्ष	कार्यकारी प्रांताध्यक्ष	महामंत्री	संरक्षक/ सलाहकार
मो.-98261-28561	मो.-9425212924	मो.-9425509104, 7999316347	मो.-94252-07576

प्रधान कार्यालय-डी.के.एस. भवन पुराना मंत्रालय के पास, अर्जुन नगर, रायपुर (छ.ग.)

Email-cgsks58@gmail.com

क्रमांक   दिनांक......................................

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक 07.09.2023

सेवानिवृत को संविदा न दी जाय

स्वास्थ्य कर्मचारी संघ ने कान्ग्रेस घोषणा पत्र में शामिल करने की मांग की

छत्तीसगढ़ प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संघ ने आज छत्तीसगढ़ कांग्रेस अध्यक्ष श्री दीपक बैज को उनके निवास में भेंट करके ज्ञापन देकर मांग की है कि राज्य में बेरोजगारी बढ़ रही है इसलिए सेवानिवृत हो चुके अधिकारी / कर्मचारी को संविदा में नियुक्ति ना दी जाय और इस बात को कांग्रेस के घोषणा पत्र में शामिल किया जाय। महामंत्री अश्वनी गुर्देकर एवं प्रदेश सचिव सतीश पसेरिया ने संयुक्त विज्ञप्ति जारी करके बताया कि छत्तीसगढ़ प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के प्रांताध्यक्ष श्री आलोक मिश्रा द्वारा संघ के प्रतिनिधियों निधियों के साथ छत्तीसगढ़ कांग्रेस कमिटी के अध्यक्ष श्री दीपक बैज जी को ज्ञापन देकर मांग की है कि स्वास्थ्य विभाग के समस्त अनियमित कर्मचारियों (जैसे संविदा, दैनिक वेतन भोगी, NHM सहित समस्त राष्ट्रीय कार्यक्रम के कर्मचारी, जीवन दीप समिती के कर्मचारी, डी.एम.एफ., ठेका कर्मचारी, आउट सोर्सिंग के कर्मचारी एवं समस्त अनियमित स्टाफ) को सरकार बनने के 6 माह अन्दर नियमित किया जाय, स्वास्थ्य विभाग के समस्त कर्मचारियों की वेतन विसंगति दूर करके सभी संवर्ग को केन्द्र के समान वेतन एवं सभी भत्ते दिए जाय, स्वास्थ्य विभाग में ठेका प्रथा को बंद किया जाय, सभी शासकीय कर्मचारियों को कैशलेश इलाज की सुविधा दी जाय, शासकीय सेवा निवृत अधिकारी / कर्मचारी को संविदा में पुनः नियुक्ति देने की प्रथा को समाप्त किया जाय, इससे बेरोजगारी दूर होगी, सभी शासकीय कर्मचारियों को उनके जिले में उपलब्ध सर्वसुविधायुक्त भूमि / प्लाट एवं भवन बनाकर दिया जाय जिसकी कीमत प्रतिमाह उनके वेतन से काटी जाय, स्वास्थ्य विभाग में सेवानिवृत्ति की आयु सभी स्टाफ / अधिकारियों के लिए समान रूप से 62 वर्ष किया जाय। ज्ञापन सौंपते समय संघ के प्रांताध्यक्ष आलोक मिश्रा, वरिष्ठ उप प्रांताध्यक्ष बी के शुक्ला, महामंत्री अश्वनी गुर्देकर, उप प्रांताध्यक्ष एवं बस्तर जिला अध्यक्ष अजय परिहार, प्रदेश सचिव सतीश पसेरिया, रायपुर संभाग अध्यक्ष सुमित दुबे, रायपुर जिला अध्यक्ष एस.एस.सोनी के साथ साथ हरिशंकर साहू, संतोष देवांगन, सुजीत पॉल, सुरेन्द्र साहू उपस्थित थे। श्री बैज जी ने कहा है की वाजिब मांगों को कांग्रेस घोषणा पत्र में शामिल किया जायेगा।

संपादक महोदय से अनुरोध है कि उक्त खबर को प्रमुखता से प्रकाशित करने की कृपा करें।

प्रति,
दैनिक .... रायपुर (छग)

भवदीय

सतीश पसेरिया	अश्वनी गुर्देकर
प्रदेश सचिव	महामन्त्री
छ.ग.प्र.स्वा.कर्म.संघ	छ.ग.प्र.स्वा.कर्म.संघ

शासन द्वारा मान्यता प्राप्त

छत्तीसगढ़ प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संघ

पं. क्रं. 58

अश्वनी गुर्देकर
महामंत्री
मो.-9425509104, 7999316347

आलोक मिश्रा
प्रांताध्यक्ष
मो.-98261-28561

ओ. पी. शर्मा
संरक्षक/ सलाहकार
मो.-94252-07576

प्रधान कार्यालय-डी.के.एस. भवन पुराना मंत्रालय के पास, अर्जुन नगर, रायपुर छ.ग
Email-cgsks58@gmail.com

क्रमांक / प्रांत / 2023 / 753 / दिनांक 29/08/2023

प्रति,

माननीय दीपक बैज जी
सांसद बस्तर एवं प्रदेश अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ कांग्रेस कमेटी,
रायपुर (छत्तीसगढ़)।

विषय: कांग्रेस पार्टी के जन घोषणा पत्र में स्वास्थ्य कर्मचारियों की मांगों को सम्मिलित करने बावत।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर अनुरोध है कि आगामी छत्तीसगढ़ विधान सभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी द्वारा जन घोषणापत्र तैयार किया जा रहा है जिसमें निम्नलिखित बिंदु सम्मिलित करने का अनुरोध है:-

1. स्वास्थ्य विभाग के समस्त अनियमित कर्मचारियों (जैसे संविदा, दैनिक वेतन भोगी, NHM सहित समस्त राष्ट्रीय कार्यक्रम के कर्मचारी, जीवन दीप समिती के कर्मचारी, डी.एम.एफ., ठेका कर्मचारी, आउट सोर्सिंग के कर्मचारी एवं समस्त अनियमित स्टाफ) को सरकार बनने के 6 माह अन्दर नियमित किया जाय।
2. स्वास्थ्य विभाग के समस्त कर्मचारियों की वेतन विसंगति दूर करके सभी संवर्ग को केन्द्र के समान वेतन एवं सभी भत्ते दिए जाय।
3. स्वास्थ्य विभाग में ठेका प्रथा को बंद किया जाय।
4. सभी शासकीय कर्मचारियों को कैशलेश इलाज की सुविधा दी जाय।
5. शासकीय सेवा निवृत अधिकारी / कर्मचारी को संविदा में पुनः नियुक्ति देने की प्रथा को समाप्त किया जाय, इससे बेरोजगारी दूर होगी।
6. सभी शासकीय कर्मचारियों को उनके जिले में उपलब्ध सर्वसुविधायुक्त भूमि / प्लाट एवं भवन बनाकर दिया जाय जिसकी कीमत प्रतिमाह उनके वेतन से काटी जाय।
7. स्वास्थ्य विभाग में सेवानिवृत्ति की आयु सभी स्टाफ / अधिकारियों के लिए समान रूप से 62 वर्ष किया जाय।

सादर प्रस्तुत।

भवदीय

A.mishra

आलोक मिश्रा
प्रांताध्यक्ष
छत्तीसगढ़ प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संघ

Recieved
07.09.2023